1/3/11/14	पत्रावली प्रथम दृष्टि वकील वादी अनुपस्थित। वकील प्रतिवादी सायल ७५ व ०५ उपस्थित। वकील वादी और एवं वादी को बार-बार सख्त-सख्त वार न्यायालय समय में न्यायालय समय समाप्ति तक अवसर लगाया गया। बावजूद वकील वादी एवं वादी उपस्थित नहीं हुए। अतः ऐसी स्थिति में वादी का वाद अक्षम हाजरी अक्षम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली एवं नकल के बाद घोषित किया जाता है।	प्रतिवादी G.40 अधिकारीगण

सहायक कलेक्टर एवम
कार्यपालक मजिस्ट्रेट,
जयपुर शहर (प्रथम)

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Agarwal
Date: 2019.11.22 11:41:19 IST
Reason: SelfAttested